राज्य प्रवेश परीक्षा–2020 की आनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा – 2020 में अर्ह अभ्यर्थी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्नलिखित चरण शामिल होंगेः

1. काउंसलिंग में प्रतिभाग हेतु पंजीयन एवं डॉक्यूमेंट अपलोड।
   अ. टी0एफ0डब्ल्यू0 क्लेम हेतु निवेदन / परिवर्तन
2. पंजीकरण हेतु पंजीकरण शुल्क भुगतान करने की सुविधा।
3. उपरोक्त दोनों चरणों के उपरांत केंद्रीय प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा स्टेप 1, 1अ एवं 2 में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के उपरांत अपलोड किये गये प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया प्रयेक चरण में नवीन पंजीकृत अभ्यर्थियों के पंजीयन के सापेक्ष सम्पादित की जाएगी।
4. सरल मोबाइल सन्देश (एस0एम0एस0)के माध्यम से सत्यापन का पुष्टिकरण।
5. सत्यापित एवं नवीन उम्मीदवारों द्वारा विकल्प निर्धारण (बिवपबमे थ्पससपदह) ।
6. सीट आबंटन परिणामों की घोषणा।
7. अभ्यर्थी सीट स्वीकृति, एक्सेपटेन्स फीस जमा कर कर सकता है। उपलब्ध विकल्पः– फ्रीज / फ्लोट – चरण (1), फ्रीज / फ्लोट चरण (2) एवं चरण (3), ऑटो फ्रीज चरण (4)
8. चरण (2) और (3) में सीट विथड्रॉल के विकल्प की सुविधा प्रदान की जाएगी।
9. प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हेतु विकल्प (यदि सीट कन्फर्म हो गई है तो इसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर माना जाएगा)
10. आबंटित संस्थान में भौतिक रिपोर्टिंग।
11. सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आंतरिक स्लाइडिंग
12. सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में रिक्त सीटों के लिए विशेष दौर (चरण 5) के लिए पंजीकरण
13. चरण 5 में सीटों का आवंटन
14. चरण 6 वैकल्पिक यदि चरण 5 के बाद सीटें खाली रह जाती हैं।

काउन्सिलिंग की प्रक्रिया चार चरणों में करायी जायेगीः–

चरण–1

1. राज्य प्रवेश परीक्षा–2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु upsee.nic.in के माध्यम से आन लाइन पंजीकरण पूर्ण करने के लिए काउन्सिलिंग फीस रु. 1000/– (नान रिफन्डेबेल) आनलाइन जमा करना होगा। आनलाइन पंजीकरण के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक अभिलेख/प्रमाणपत्र

अपलोड करने होंगे, जिसका केन्द्रीय काउन्सिलिंग समिति के द्वारा वेरीफिकेशन किया जायेगा। वेरीफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के रिजस्टर्ड मोबाइल पर एस0एम0एस0 भेजा जायेगा, जिसके पश्चात् अभ्यर्थी अपनी अर्हता के अनुसार संस्थान एवं ब्रांच का चयन करते हुए अधिक से अधिक विकल्प का चयन करेंगे।

2. अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में प्रस्तुत विकल्प/प्राथमिकताओं के आधार पर आन लाइन चालित विधि से सीट आबंटित हो जायेगी। सीट आवंटन का परिणाम निर्धारित तिथि पर वेबसाइट पर उपलब्ध/प्रदर्शित किया जायेगा। सीट आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थियों को रु. 20,000/– (सामान्य एवं ओ0बी0सी0) तथा रु. 12,000/– (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) सीट स्वीकृति के लिए शुल्क जमा करना होगा। कन्फर्मेशन फीस जमा करने पश्चात् अभ्यर्थियों को आन लाइन फ्रीज या फ्लोट का विकल्प देना होगा। अगले चरण में जाने की विकल्प भी डिस्प्ले प्रदर्शित होगा।

   फ्रीज– जो अभ्यर्थी अपनी सीट से संतुष्ट हैं और आगे किसी चरण में कोई बदलाव नहीं चाहते हैं परन्तु उनकी सीट कैटेगरी में बदलाव हो सकता है।

   फ्लोट–जो अभ्यर्थी अपनी आबंटित सीट से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है और आगे सीट अपग्रेड के इच्छुक है, फ्लोट का विकल्प चुन सकते हैं।

जो अभ्यर्थी फ्रीज या फ्लोट का विकल्प नहीं देंगे उनके लिए फ्लोट का विकल्प डिफाल्ट मान लिया जायेगा।

चरण बद्ध आवंटन का विवरण अभ्यर्थी के लॉगिन से देखा जा सकता है।

अभ्यर्थियों को आबंटित सीट को आगे के चरणों में अपडेट किया जा सकता है आबंटित सीट को फ्रीज विकल्प के मामले में अभ्यर्थियों को आगे के राउण्ड में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

जिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित सीट स्वीकृति फीस जमा नहीं की है तो उसे सीट छोड़ने/उसे काउंसिंलंग से बाहर माना जायेगा तथा उसे अगले चरणों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

चरण–2

कौन अर्ह नहीं हैं'?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चरण में सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान न किया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रमाणपत्र / अभिलेख सत्यापन के उपरांत अर्ह नहीं पाए गये हो।

कौन अर्ह है?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप–1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रु0 1,000/– जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, उन अभ्यर्थियों को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया है तथा प्रथम राउण्ड में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रुप–2 (फ्रीज अभ्यर्थी)

ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पूर्व आबंटित सीट यथावत रहेगी तथा उनकी आबंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप–3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

- वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी है परन्तु सीट फ्रीज नहीं की है।
- ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। उनकी पिछले आबंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो चरण–1 के विकल्प को चरण–2 के लिए अन्तिम माना जायेगा।

ग्रुप–4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित हुयी है):

ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में कोई भी सीट आबंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी, को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो चरण–2 के लिए चरण–1 के विकल्प को अन्तिम विकल्प माना जायेगा।

चरण–2 में सीट आवंटन

ऊपर विभिन्न ग्रुपों के अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये विकल्पों के आधार पर बची हुई सीटों के सापेक्ष सीट आबंटित की जायेगी तथा उक्त आबंटित सीट का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

दूसरे चरण में सीटों में परिवर्तन नियम

पंजीकृत अभ्यर्थी को बिना सीट परिवर्तन के सीटों का आवंटन किया जायेगा।

आरक्षित उप वर्ग की सीटों को उनके मुख्य वर्ग में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगाः–

OP(GL)/OP(FF)/OP(PH)/OP(AF) → OP

SC(GL)/SC(FF)/SC(PH)/SC(AF)→ SC

ST(GL)/ST(FF)/ST(PH)/ST(AF)→ ST

BC(GL)/BC(FF)/BC(PH)/BC(AF)→ BC

तदोपरांत पुनः सीट आवंटन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार सभी आरक्षित उप वर्ग की सीटों को परिवर्तन करने के पश्चात् यदि कोई सीट उप वर्ग में उपलब्ध है तो परिवर्तन पुनः लागू किया जायेगा और तब तक लागू रहेगा जब तक कोई आरक्षित उप वर्ग की सीट शून्य न हो जाए।

इस राउण्ड में अनु0 जाति, अनु0 जनजाति, ओ0बी0सी0 एवं ई.डब्ल्यू.एस. सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण –2 में सीट आवंटन के पश्चात्

- प्रथम चरण में सीट फ्रीज कर चुके अभ्यर्थी उसी वर्ग में सीट अपग्रेडेशन कर सकते हैं।
- जिन अभार्थियों द्वारा फ्लोट किया गया है वह अगले उच्च प्राथमिकता विकल्प के लिए अर्ह होंगे।
- प्रथम राउण्ड में जिन अभ्यर्थियों को सीट अवंटित नहीं की गयी थी, उनको दूसरे राउण्ड में सीट आबंटित हो सकती है।
- यदि ग्रुप –I एवं ग्रुप – IV ऐसे नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आबंटित हुई है उन्हे सीट कन्फर्मेशन के लिए रू0 20,000/– (सामान्य एवं ओ0बी0सी0) तथा रू0 12,000/– (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगानेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- एक बार ग्रुप- III के आलरेडी फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आबंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को आबंटित सीट फ्रीज / फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया

है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 15000/– एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 9000/– वापिस किया जाएगाद्य इसके साथ ही सीट स्वीकृति/विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी।

- साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगानेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी (ग्रुप –III) ने फ्रीज/फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 3 के स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा।

चरण–3

कौन अर्ह नही है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम एवं द्वितीय चरण में सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क नहीं जमा किया है।
- ऐसे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र/अभिलेख सत्यापन के पश्चात् अर्ह नहीं पाये गये हों।

कौन अर्ह हैं?

अर्ह अभ्यर्थी के चार समूह होंगे

ग्रुप–1 (नये अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है वह अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क रु0 1,000/– जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण कराया था लेकिन पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया, उन अभ्यर्थियों को इस चरण में प्रतिभाग के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पंजीकरण फीस जमा किया है तथा पिछले चरणों में कोई विकल्प नहीं भरा है।

ग्रुप–2 (फ्रीज अभ्यर्थी)

- ऐसे अभ्यर्थियों को नये विकल्प भरने या विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। पूर्व आबंटित सीट यथावत रहेगी तथा उनकी आबंटित श्रेणी में नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।

ग्रुप–3 (फ्लोट अभ्यर्थी)

- वह अभ्यर्थी जिन्होंने पिछले चरण में स्वीकृति फीस जमा कर दी है परन्तु सीट फ्रीज नहीं की है।
- ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों में संशोधन करने की अनुमति दी जायेगी। उनकी पिछले आबंटित सीट बरकरार रखी जायेगी। उन्हें सीट अपग्रेड के लिए पात्र माना जायेगा। यदि अभ्यर्थी विकल्पों में कोई बदलाव नहीं करता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गये विकल्प को चरण – 3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

ग्रुप–4 (जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित हुयी है):

ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले चरण में कोई भी सीट आबंटित नहीं हुई है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले विकल्प भरे थे लेकिन कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी, को विकल्पों का संशोधन करने की अनुमति होगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरे विकल्पों में कोई बदलाव नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थी द्वारा पिछले चरणों में दिए गये विकल्प को चरण – 3 के लिए अंतिम विकल्प माना जायेगा।

चरण–3 में सीट आंवटन

उपर्युक्त सभी ग्रुप के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले विकल्पों के आधार पर रिक्त सीटों पर केन्द्रीयकृत आबंटन कर वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

चरण–3 में सीटों का परिवर्तन नियम

सभी पंजीकृत अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण में बिना किसी परिवर्तन के सीट आवंटन किया जायेगा।

अनुसूचित जनजाति (ST) सीट को अनुसूचित जाति (SC) सीट में परिवर्तन कर पुनः सीट का आवंटन।

उपरोक्तानुसार सभी प्रकार की सीट के परिवर्तन करने उपरान्त अनुसूचित जनजाति वर्ग में कोई रिक्त सीट उपलब्ध है तो उसका परिवर्तन कर निर्धारित नियमों का पालन किया जायेगा। इस प्रक्रिया का तब तक पालन किया जायेगा जब तक अनुसूचित जनजाति वर्ग में सीट शून्य नहीं हो जाती।

तत्पश्चात् अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग सीटों को सामान्य वर्ग में परिवर्तन निम्नवत् किया जायेगा

अनुसूचित जाति **(SC)** ⟹ सामान्य वर्ग (**Open**)

पिछड़ा वर्ग (OBC) ⟹ सामान्य वर्ग (Open)

तदोपरांत सीटों को पुनः आवंटन किया जायेगा

- सभी वर्गो की सीटों को परिवर्तन करने के बाद (उपरोक्त वर्णित स्थिति के अनुसार) अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में यदि कोई सीट उपलब्ध हो तो उनके परिवर्तन का नियम फिर से पलान करना होगा और इस प्रक्रिया का पालन तब तक किया जायेगा जब तक अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग में सीट शून्य नहीं हो जाती है।
- अन्तिम रूप में सभी सीट केवल सामान्य वर्ग एवं ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग में उपलब्ध होंगी।
- इस राउण्ड में **TFW** (फी–वेवर) सीट में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

चरण–3 में सीटों के आवंटन के बाद

- चरण–1 एवं चरण–2 की फ्रीज सीट को उसी सीट पर कैटेगरी अपग्रेडेशन किया जा सकता है।
- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थियों को उनके अन्तिम विकल्पों के अनुसार अगली उच्च प्राथमिकता की सीट में अपग्रेड किया जा सकता है।
- पूर्व चरणों के अभ्यर्थियों को जिनको कोई सीट आबंटित नहीं हुई थी इस चरण में सीट मिल सकती है।
- यदि ग्रुप –I एवं ग्रुप – IV ऐसे नए अभ्यर्थियों जिनको सीट आबंटित हुई है उन्हे सीट कन्फर्मेशन के लिए रू0 20,000/– (सामान्य एवं ओ0बी0सी0) तथा रू0 12,000/– (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति) शुल्क भुगतान ऑनलाइन करना होगा। जिसके बाद सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण सूचना जेनेरेट हो जाएगी। साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगनेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- एक बार ग्रुप–ण्ण् के आलरेडी फ्लोट अभ्यर्थियों को सीट आबंटित हो जाएगी तो उसके सापेक्ष अभ्यर्थियों को आबंटित सीट फ्रीज / फ्लोट करने का विकल्प उपलब्ध होगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने सीट स्वीकृति/पुष्टिकरण शुल्क का भुगतान करा दिया है, को अपना अभ्यावेदन विड्रा करने विकल्प मिलेगा। साथ ही रिफंड के लिए अभ्यर्थी को अपनी बैंकिंग सम्बन्धी सूचना भरने का विकल्प प्रदान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह भी सूचित करना है कि सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपये 10000/– एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को रूपये 6000/– वापिस किया जाएगा। इसके साथ ही सीट स्वीकृति/विड्रा की सूचना जेनेरेट हो जाएगी।
- साथ ही अगले चरण के लिए विलिंगनेश भी प्रदर्शित की जाएगी।
- यदि अभ्यर्थी (ग्रुप –III) ने फ्रीज/फ्लोट का विकल्प नहीं दिया है तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को चरण 4 के स्वतः ही फ्लोट माना जायेगा।

राउंड 4

कौन अर्ह नहीं है?

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में सीट स्वीकृति शुल्क का भुगतान नहीं किया था।
- ऐसे अभ्यर्थी जिनको ऑनलाइन प्रमाणपत्र/अभिलेख सत्यापन के बाद अर्ह नहीं पाए गए हों।

कौन अर्ह है?

- **अर्ह अभ्यर्थी के तीन समूह हैं:**
- **ग्रुप– I (फ्रीज अभ्यर्थी):** ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्पों को संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे अभ्यर्थियों की पहले से आबंटित सीट को यथावत रखा जाएगा; हालाँकि उनकी आबंटित वर्ग को नियमानुसार अपग्रेड किया जा सकता है।
- **ग्रुप– II (फ्लोट अभ्यर्थी):** ऐसे अभ्यर्थियों को विकल्प संशोधित / चयन करने की अनुमति नहीं होगी। उनकी पहले से आबंटित सीट को यथावत रखा जाएगा। साथ ही उन्हें सीट अपग्रेडेशन का अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि कोई बदलाव नहीं किया जाता है, तो पहले के चरणों में आबंटित विकल्प को अंतिम माना जाएगा।
- **ग्रुप– III (अभ्यर्थी जिन्हें कोई सीट आबंटित नहीं हुई):** ऐसे अभ्यर्थी जिनको पिछले तीन चरणों में कोई सीट आबंटित नहीं हुई है यी थी, उन्हें यथावत विकल्पों में सीट आवंटन के लिए अर्ह माना जाएगा।

चरण – 4 सीट अलॉटमेंट

- उपलब्ध विकल्पों को रिक्त सीटों के सापेक्ष केंद्रीय रूप से संशोधित किया जाएगा।
- इस चरण के सीट आबंटन परिणाम वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जायेंगे।

चरण 4 के सीट परिवर्तन नियम

- चरण 3 की समस्त रिक्त बची सीटें केवल ओपन(Open) श्रेणी में उपलब्ध होंगी।
- चरण 4 के सीट आवंटन के उपरांत चरण 1 अथवा 2 अथवा 3 में अभ्यर्थी द्वारा फ्रीज सीट को (Category Upgradation) श्रेणी उन्नयन के लिए आबंटित सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- फ्लोट सीट वाले अभ्यर्थी को अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंतिम विकल्पों पर अगली उच्च वरीयता वाली सीट पर अपग्रेड किया जा सकता है।
- पिछले चरणों में जिन अभ्यर्थियों को कोई भी सीट आबंटित नहीं हुयी है ऐसे अभ्यर्थियों को इस चरण में सीट मिल सकती है।

- (ग्रुप– III) के अभ्यर्थी को एक बार सीट आबंटन कर दिया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के पास सीट फ्रीज करने का विकल्प होगा, ऐसे अभ्यर्थी को रुपये 20000/– (सामान्य और ओबीसी) / रूपये 12000/– (एससी और एसटी) सीट स्वीकृति शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। सीट स्वीकृति के उपरांत सीट कन्फर्मेशन की सूचना जनरेट होगी।
- (ग्रुप– II) के अभ्यर्थी जोकि ऑलरेडी फ्लोट सीट पर हैं की नवीन आबंटित ब्रांच को ऑटो फ्रीज कर दिया जाएगा, जिसके उपरांत सीट कन्फर्मेशन की जानकारी जनरेट हो जाएगी।
- सीट स्वीकृति अथवा सीट पुष्टिकरण शुल्क रूपये 20000/– (सामान्य / ओबीसी–एनसीएल) तथा रूपये 12000 (एससी / एसटी) हेतु सीट आबंटन के उपरांत संस्थान को स्थानांतरित / समायोजित किया जाएगा। केवल चरण 2 एवं चरण 3 में ही रिफंड / विड्रा का प्रावधान होगा, यदि कोई अभ्यर्थी चरण 2 तथा चरण 3 में विड्रा नहीं करता है तो ऐसी दशा में रिफंड हेतु पात्र नहीं होगा।

<u>फिजिकल रिपोर्टिंग</u>

जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं और जिन्होंने सीट कन्फर्मेशन शुल्क का भुगतान किया है, उन्हें आवंटित संस्थान में शारीरिक रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी। जिन अभ्यर्थियों को सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सीटें आवंटित की गई हैं, उन्हें विकल्प मिलेगा कि वह फिजिकल रिपोर्टिंग के इंटरनल स्लाइडिंग का विकल्प चुन सकते हैं।

<u>आंतरिक स्लाइडिंग</u>

सभी अभ्यर्थी जो कि शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में आंतरिक स्लाइडिंग के लिए चुने गए हैं, उन्हें आवंटित संस्थान के भीतर आंतरिक स्लाइडिंग के लिए संशोधित किया जाएगा और आबंटन किए जाएंगे, यदि कोई उम्मीदवार एक उन्नत सीट का अनुरोध करता है तो वह उसे वापस नहीं ले सकता है। आंतरिक स्लाइडिंग के लिए अभ्यर्थी को सावधानीपूर्वक चयन करना आवश्यक है।

<u>स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 5 (शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों हेतु)</u>

- कौन अर्ह नहीं है?

ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 4 में सीट फ्रीज कर दी है, या ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है और भुगतान किया गया है लेकिन राउंड 2 और 3 में फ्लोट नहीं किया गया है।

- कौन अर्ह है?

ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्हें अर्ह नहीं बताया गया हो।

<u>स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 5</u>

चरण 5 के लिए पात्र अभ्यर्थी 1000 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ इस चरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, अभ्यर्थी को दस्तावेजों को अपलोड करना आवश्यक होगा, जो केंद्रीय रूप से सत्यापित किए जाएगे, सत्यापन के बाद अथ्यर्थियों को एक एस.एम.एस. भेजा जाएगा, जिसके बाद अभ्यर्थी इस चरण लिए विकल्प भर सकते हैं। स्पेशल राउंड, उम्मीदवार को इस राउंड में भाग लेने के लिए 20000.00 रुपये सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करनी होगी। यह शुल्क केवल उन उम्मीदवारों को वापस किया जाएगा, जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी। इस चरण में सीट प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता है।

<u>सीट आवंटन</u>

शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा भौतिक रिपोर्टिंग के बाद रिपोर्ट की गईं समस्त खाली सीटें केवल ओपन श्रेणी एवं ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी में उपलब्ध होंगी और चरण 5 में 20000 रुपये का भुगतान करने वाले अथ्यर्थियों को आवंटिन की जाएगी।

<u>स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 6 (शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में यदि चरण 5 के बाद सीटें खाली रहती हैं)</u>

- कौन अर्ह नहीं है?

ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 5 में सीट फ्रीज कर दी है, य या ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है और भुगतान किया गया है लेकिन राउंड 2 और 3 में फ्लोट नहीं किया गया है।

- कौन अर्ह है?

ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने चरण 5 में पंजीकृत किया है, लेकिन कोई सीट आवंटित नहीं की गई है और
ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को छोड़कर जिन्हें अर्ह नहीं बताया गया हो।

<u>स्पेशल राउंड काउंसलिंग चरण 6 पंजीकरण</u>

चरण 6 के लिए अर्ह अभ्यर्थी 1000 रुपये के आवेदन शुल्क के साथ इस चरण के लिए पंजीकरण कर सकते हैं, अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिन्हें केंद्रीय रूप से सत्यापित किया जाएगा, सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को एक एस.एम.एस. भेजा

जाएगा, जिसके उपरांत अभ्यर्थी इस चरण लिए विकल्प भर सकते हैं। स्पेशल राउंड, इस राउंड में प्रतिभाग करने के लिए अभ्यर्थी को 20000 रुपये की सीट कन्फर्मेशन फीस जमा करनी होगी। यह शुल्क केवल उन अभ्यर्थियों को वापस किया जाएगाए जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी। इस चरण में सीट प्राप्त करने वाला कोई भी अभ्यर्थी किसी भी स्थिति में शुल्क वापसी का दावा नहीं कर सकता है।

सीट आवंटन

चरण 5 में आवंटन के बाद खाली रिपोर्ट की गईं समस्त सीटें, केवल ओपन श्रेणी एवं ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी में उपलब्ध होंगी और चरण 5 या चरण 6 में 20000 रुपये का भुगतान करने वाले अभ्यर्थियों को आवंटित की जाएगी।

Tentative Schedule for UPSEE Counselling 2020
(All Programmes Except M Tech/M Arch/M Pharm/M Des)

Round	Event	Start Date	End Date
1	Registration,Payment of Fee Document Upload	19-10-2020 14:00	22-10-2020 23:59
1	Document Verification	20-10-2020 10:00	23-10-2020 23:59 for Fresh 24-10-2020 for Query
1	Online Choice Locking	20-10-2020 10:00	26-10-2020 10:00
1	Respond to Queries R 1	20-10-2020 10:00	24-10-2020 11:00
1	Seat Allotment	26-10-2020	
1	Online Willingness (Freeze/Float)	26-10-2020	29-10-2020 23:59
1	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	26-10-2020	29-10-2020 23:59
2	Registration and Payment of Fee (Fresh Candidates)	30-10-2020 14:00	02-11-2020 23:59
2	Document Verification	30-10-2020 14:00	03-11-2020 15:00for Fresh 04-11-2020 15:00 for Query
2	Online Choice Locking	30-10-2020 14:00	05-11-2020 10:00
2	Respond to Queries R 2	30-10-2020 14:00	03-11-2020 23:59
2	Seat Allotment	05-11-2020	
2	Online Willingness (Freeze/Float)	05-11-2020	08-11-2020 23:59
2	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	05-11-2020	08-11-2020 23:59
2	Online Withdrawal (Refund 15000/9000)	05-11-2020	08-11-2020 23:59
3	Registration and Payment of Fee (Fresh Candidates)	09-11-2020 14:00	11-11-2020 23:59
3	Document Verification	09-11-2020 14:00	12-11-2020 12:00for Fresh 12-11-2020 23:59 for Query
3	Online Choice Locking	09-11-2020 14:00	13-11-2020 10:00

3	Respond to Queries R 3	09-11-2020 14:00	12-11-2020 11:00
3	Seat Allotment	13-11-2020	
3	Online Willingness (Freeze/Float)	13-11-2020	17-11-2020 23:59
3	Payment of Seat Confirmation	13-11-2020	17-11-2020 23:59
3	Online Withdrawal (Refund 10000/6000)	13-11-2020	17-11-2020 23:59
4	Seat Allotment	18-11-2020	
4	Payment of Seat Confirmation (20000/12000)	18-11-2020	20-11-2020 23:59
4	Physical Reporting of Freeze Seat Candidates at PI	21-11-2020	24-11-2020
	Internal Sliding in Govt Colleges	26-11-2020	
	Seat vacancy For Special Round	26-11-2020	
5	Registration and Payment of Fee	26-11-2020	28-11-2020
5	Document Verification	26-11-2020	29-11-2020
5	Online Choice Locking & Payment of Rs 20000	26-11-2020	30-11-2020 10:00
5	Seat Allotment	30-11-2020	
6	Registration and Payment of Fee	01-12-2020	02-12-2020
6	Document Verification	01-12-2020	03-12-2020
6	Online Choice Locking & Payment of Rs 20000	01-12-2020	04-12-2020 10:00
6	Seat Allotment	05-12-2020	